डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

कदमा नं0 151/2020

1. बलराम पुत्र रामहेत
2. महेश
3. विष्णु पिसरान जगदीश प्रसाद
4. बबली
5. मिथलेश
6. शकुन्तला पुत्रीयान जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पहाडी तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाड़ी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .....व हाजिरी वकील ादी मिनजानिब वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि प्रतः आज्ञा है कि दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 632/0.44, 633/0.44 हैक्टर बांके ग्राम पहाडी तहसील पहाडी पर वादी संख्या 1 को 1/2 हिस्से पर एवं वादीगण संख्या 2 लगायत 6 को 1/12–1/12 हिस्सा पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। आज ..... X ..... मुबलिग ..... X .....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... X ..... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ..... X .....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05/08/. सन् 2021 को जारी की गई ।

दस्तखत .....

मुहर

ओहदा उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुंई		रूपया	पैसा	मुंालय		रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	.....	2.00		स्टाम्प अरजीदावा	.....		
स्टाम्प वकालतनामा	.....	1.00		स्टाम्प वकालतनामा	.....		
स्टाम्प वजह सबूत	.....	1.00		स्टाम्प वजह सबूत	.....		
महनताना वकील)पर	.....			महनताना वकील)पर	.....		
खर्चा गवाहान	.....			खर्चा गवाहान	.....		
फीस कमिश्नर	.....			फीस कमिश्नर	.....		
बबत इजराय हुक्मनामा	.....			बबत इजराय हुक्मनामा	.....		
मुतफर्रिक	.....			मुतफर्रिक	...		
मीजान	.....	4.00		मीजान	.....		

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

कदमा नं0 151/2020

1. बलराम पुत्र रामहेत
2. महेश
3. विष्णु पिसरान जगदीश प्रसाद
4. बबली
5. मिथलेश
6. शकुन्तला पुत्रीयान जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी पहाडी तहसील पहाडी

वादीगण

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री सतीश बुन्देला वकील वादीगण

दिनांक :–05/08/2021

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा 632/0.44, 633/0.44, बांके ग्राम पहाडी प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। प्रेमवती फौत हो चुकी है तथा माया उर्फ भूरी लाबल्द बिला पति लापता हो चुकी है। आराजी मुत0 के हाल खसरा नम्बर 632/0.44, 633/0.44 के क्रमशः साविक खसरा नम्बर 477/0.44, 478/0.44 है। वादीगण संख्या 2 लगायत 6 की खातेदार प्रेमवती माँ है जो फौत हो गई तथा माया उर्फ भूरी बहन है जो 8 वर्ष से लापता है। जिनका हिस्सा भी वादीगण संख्या 2 लगायत 6 में ही समाहित होना है। आराजी मुतदाविया की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार है जिसके प्रतिनिधि तहसीलदार पहाडी है जिनके विरूद्ध दावा पेश किया जा रहा है दावा प्रस्तुत करने से पूर्व दफा 80(2) जा0दी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अजेन्ट नेचर का होने की वजह से दफा 80(2) जा0 दी0 के तहत

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय से पूर्व अनुमति ले ली गई है। आराजी पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने के पूर्व ही बतौर राजस्व रिकॉर्ड खातेदार के रूप में करीब 80 वर्ष पूर्व से ही लगातार कब्जा काश्त है। जिसमें वादीगण के पिता/दादा रामहेत पुत्र घीस सम्वत 2011 से गैर मौरोसी के रूप में काश्त करते रहे और सम्वत 2023 में खातेदार दर्ज कर दिया गया। उसके मरने के बाद सम्वत 2031 से उसके बाद विरासत का इन्द्राज वादी संख्या 1 बलराम व वादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पिता जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज कर लगातार गैरखातेदार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन वादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पिता के मरने के बाद उनकी विरासत का इन्द्राज दाखिल खारिज नम्बर 4883 दिनांक 05/02/2013 को वादीगण संख्या 2 लगायत 6 (माँ प्रेमवती फौत बहिन माया उर्फ भूरी लापता) के नाम दर्ज किया गया जिस पर आज भी वादीगण गैरखातेदार के रूप में कब्जा काश्त कर रहे है। जबकि पूर्व में ही गैर मौरोसी को राज्य सरकार द्वारा खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर थे जबकि आज भी उक्त आराजी हिन्दू मिलकियत की पैतृक आराजी है वादीगण के पिता/दादा पूर्व में गैरमौरोसी के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थे तथा गैरमौरोसी के स्थान पर खातेदार दर्ज ना करके राजस्व कर्मचारियों द्वारा भारी भूल करते हुये वादीगण के पिता/दादा के नाम गैरखातेदारी का इन्द्राज कर दिया तथा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। जिसकी जानकारी नकल जमाबन्दी लेने पर हुई। गैरखातेदार का इन्द्राज होने की वजह से राज सरकार से मिलने वाली सुविधाओ से वंचित हो रहे है। यह कि विनाय मुखास्मत नकल जमाबन्दी दिनांक 29/10/2020, 27/11/2020, 9/12/2020 को लेने व दिनांक 09/12/2020 को ऐलानिया धमकी देने से अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई। अतः दावा वादीगण डिक्री फरमाया जाकर वादीगण को अपने–अपने हिस्से के मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा वर्तमान के इन्द्राज जो खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज हो रहा है उसे कलमजन किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 01/03/2021 को वादीगण के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि दावे की मद संख्या 6 में वादीगण का ही कब्जा काश्त है जिस पर वादीगण के पिता/दादा रामहेत पुत्र घीसा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2011 से गैरमौरोसी के रूप में काश्त करते रहे और सम्वत 2023 में गैरखातेदार दर्ज किया गया तथा उसके मरने के बाद सम्वत 2031 से विरासत का इन्द्राज वादी संख्या 1 व 2 लगायत 6 के पिता जगदीश प्रसाद

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर लगातार गैरखातेदार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है लेकिन वादी संख्या 2 लगायत 6 के पिता के मरने के बाद उनकी विरासत का दाखिल खारिज संख्या 4883 दिनांक 05/02/2013 को दर्ज हुआ जो आज भी आराजी पर गैरखातेदार के रूप में कब्जा काश्त चले आ रहे है। इसलिए उक्त आराजी हिन्दू मिलकियत की पैतृक सम्पत्ति हैं। वादीगण आराजी मुतदाविया पर वादीगण से पूर्व उनके पिता/दादा गैर मौरोसी/गैरखातेदार के रूप में लगातार आज तक कब्जा काश्त है। उक्त आराजी में मौके पर काश्त हो रही है कोई निर्माण कार्य नहीं है। अतः वादीगण को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायोचित होगा।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

<u>तनकी संख्या 1 :–</u> आया वादीगण व वादीगण के पिता/दादा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सम्वत 2011 से गैरमौरोसी तथा अब गैरखातेदार के रूप में आराजी पर लगातार कब्जा काश्त है तथा अपने आपको राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदारी की गलत इन्द्राज को कलमजन कराकर खातेदार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

.....वादीगण

<u>2:–दादरसी :–</u>

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 महेश , पी0डब्लू02 विष्णु, पी0डब्लू0 3 मिथलेश शर्मा, पी0डब्लू0 4 शकुन्तला, पी0डब्लू0 5 बबली, पी0डब्लू0 6 नत्थी, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 लगायत 2014, 2015 , 2019 लगायत 2022, 2023 लगायत 2026, 2026 लगायत 2030, 2031, 2035, 2039 लगायत 2042, 2048 लगायत 2051, 2056 लगायत 2059, 2075 लगायत 2072, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से अब तक किता 12, नकल मिलान क्षेत्रफल , नकल दाखिल खारिज संख्या 4883 प्रस्तुत की है।

बहस वादीगण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया । निर्णय से पूर्व तहसीलदार पहाडी से आराजी के संबंध में कब्जा, विवाद एवं धारा 16 से प्रभावित के बिन्दु की रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार पहाडी ने अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया है कि उक्त आराजी पर कोई विवाद एवं स्थगन आदेश नहीं है। आराजी पर वादीगण का कब्जा है। आराजी राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 16 से प्रभावित नहीं है।

हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

तनकी संख्या 1:— उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीगण पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी, जबाव तहसीलदार एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार पहाडी के अनुसार आराजी वादीगण की पुश्तैनी आराजी होना बखूबी प्रमाणित है। संलग्न नकल जमाबन्दीयों से यह बखूबी प्रमाणित है कि आराजी पर वादीगण के पिता/दादा रामहेत पुत्र घीसा सम्वत 2011 से गैर मौरोसी के रूप में काश्त करते रहे हैं और सम्वत 2023 में उन्हें खातेदार दर्ज कर दिया गया। उसके मरने के बाद सम्वत 2031 से उसके बाद विरासत का इन्द्राज वादी संख्या 1 बलराम व वादीगण संख्या 2 लगायत 6 के पिता जगदीश प्रसाद के नाम दर्ज कर लगातार गैरखातेदार के रूप में काश्त करते चले आ रहे है। पिता जगदीश प्रसाद की मृत्यु के पश्चात् वादीगण संख्या 2 लगायत 6 के नाम गैरखातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। परन्तु वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में माया उर्फ भूरी का भी नाम दर्ज है। जो कि वादीगण संख्या 2 लगायत 6 की बहन है। जिसको दावे में लापता बताया गया है। परन्तु इस संबंध में कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट आराजी पर कोई विवाद एवं स्थगन आदेश नहीं है। आराजी पर वादीगण का कब्जा है। आराजी राज0 काश्त0 अधि0 1955 की धारा 16 से प्रभावित नहीं है। मुताबिक तहसीलदार जबाव वादीगण को मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के खातेदारी प्रदान किया जाना न्यायोचित बताया हैं। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी आंशिक रूप से वाहक वादीगण निर्णित की जाती है।

2. दादरसी :— तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादीगण आंशिक रूप से डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :—

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा 632/0.44, 633/0.44 बांके ग्राम पहाड़ी तहसील पहाडी पर वादी सं0 1 को 1/2 हिस्से पर एवं वादीगण सं0 2 लगायत 6 को 1/12—1/12 हिस्सा पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05/08/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)